# सुरेश सिन्हा मेमोरियल सोसायटी

## का

## स्मृति-पत्र

**2.** निबंधित कार्यालय

ग्राम - सुरेश पुरम, महिसौड़ी, वार्ड नं०-**14**, पत्रालय - जमुई
प्रखण्ड - जमुई, थाना - जमुई, जिला - जमुई
पिन कोड - **811307** (बिहार)

**3.** कार्य क्षेत्र

सम्पूर्ण भरतवर्ष ही इस संस्था का कार्यक्षेत्र होगा।

**4.** उद्देश्य

(क) सामाजिक कुरीति, अशिक्षा, अज्ञानता एवं अन्धविश्वासों को समाप्त कर पूर्ण रूपेण शिक्षित तथा जागरूक समाज का निर्माण करना ,

(ख) आर्थिक रूप से कमजोर, श्रमिकों, हरिजन, आदिवासियों एवं अल्पसंख्यकों के बालक-बालिकाओं का समुचित शिक्षण, संरक्षण तथा उनके नैतिक उन्नयन के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना ,

(ग) आर्थिक रूप से कमजोर **(B.P.L)** परिवार के मेधावियों को रोजगार परक उच्च शिक्षा दिलाने में हर सम्भव सहयोग करना ,

(घ) समाज को पूर्णतया शिक्षित करने के उद्देश्य से स्थान-स्थान पर प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय तथा महाविद्यालयों की स्थापना एवं संचालन करना ,

(ङ) सुदूर ग्रामीण एवं हरिजन तथा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के निवासियों के लिए आवश्यक शिक्षा, सम्पूर्ण स्वास्थ्य एवं स्वावलम्बन की दिशा में क्रियाशील रहना ,

(च) जरूरत मंद शिक्षित बेरोजगारों के लिए विभिन्न लाभकारी व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों तथा उपकेन्द्रों की स्थापना एवं संचालन करना ,

(छ) परम्परागत कारीगरों, कृषकों एवं श्रमिकों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने हेतु सरकार अथवा केन्द्रीय ''खादी ग्रामोद्योग आयोग'' तथा राज्य ''खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा अनुमोदित विभिन्न कुटिर एवं लघु उद्योगों की स्थापना एवं संचालन करना,

(ज) साधनहीन कलाकारों, खिलाड़ियों, साहित्यकारों सहित विभिन्न रचनात्मक कार्यो से जुड़े व्यक्तियों को उचित सम्मान दिलाने तथा उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने की दिशा में सतत् प्रयत्नशील रहना ,

कुसुम सिन्हा

Scanned by CamScanner

(ञ) जन-जन की कटुता मिटाने तथा सामाजिक सद्भाव, मैत्री एवं समता की भावनाओं के विकास के लिए समय-समय पर विभिन्न आध्यात्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना ,

(ञ) अनाथ बालक-बालिकाओं, उपेक्षित वृद्ध-वृद्धाओं, परित्यक्ताओं एवं गणिकाओं के लिए आश्रयस्थल, पोषाहार, शिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा रोजगार का प्रबन्ध कर, उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयत्न करना ,

(ट) समय-समय पर अवशिष्टों एवं अन्य गंदगियों का निष्पादन कराने, चलन्त शिविरों के माध्यम से जन सामान्य को रोग निरोधक टीके लगवाने तथा स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए जागरूकता शिविरों का आयोजन करना,

(ठ) जन सामान्य को हानि रहित वैकल्पिक उपचार की विभिन्न पद्धतियों यथा - आयुर्वेद, रेकी , योग, एक्युप्रेशर, आध्यात्मिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा आदि के प्रति जागरूक तथा प्रशिक्षित कराने का प्रबन्ध करना ,

(ड) पर्यावरण संतुलन के साथ-साथ उसर तथा बंजर भूमि का समुचित उपयोग के लिए फलदार तथा अन्य प्रकार के लाभकारी वृक्षों का रोपन कराना,

(ढ) आकस्मिक या प्राकृतिक आपदाओं से आक्रान्तों की हर सम्भव सेवा तथा सहयोग करना ,

(ण) कृषकों को खाद्यान्न सहित लाभकारी औषधीय पादपों एवं जड़ी-बूटियों की खेती करने के लिए प्रेरित करना तथा उक्त कार्य के लिए उन्हें आर्थिक तथा तकनीकि सहयोग दिलाने का प्रबन्ध करना ,

(त) आयुर्वेदाचार्यों, अनुभवी चिकित्सकों, डायटीशियनों के निदेशानुसार औषधियों तथा पूरक आहारों का निर्माण करना तथा जन सामान्य के लिए इसे सुलभ कराना ,

(थ) जन सामान्य के लिए उपयोगी विषयों से युक्त पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन एवं ऑडियो, विडियो, सी.डी कैसेट, एवं चलचित्रों के निर्माण तथा वितरण और प्रसारण कराना,

(द) व्यक्तिविशेष सरकार या विश्व के विभिन्न समाजसेवी संगठनों के विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों से जन सामान्य को अधिकाधिक लाभ दिलाने का प्रबन्ध करना और

(ध) व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र के हितों की रक्षा करते हुए किसी भी प्रकार के आकस्मिक तथा वैधानिक कार्यो का सम्पादन करना।

कुसुम सिन्हा

Scanned by CamScanner

नियमानुसार संस्था के वर्तमान कार्यकारिणी समिति के चयनित सदस्यों के नाम, पिता का नाम, पता तथा पदनाम और व्यवसाय निम्नलिखित हैं :-

| क्र.सं. | नाम/पिता का नाम/पता | फोटो | पद | व्यवसाय |
|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री राकेश रंजन<br>पिता- श्री सुशील प्रसाद सिन्हा<br>सिरचन्द नवादा, वार्ड नं0-5<br>सिरचन्द नवादा, जिला- जमुई | | अध्यक्ष | समाज सेवा |
| 2. | श्रीमती कुसुम सिन्हा<br>पति- श्री मनोज कुमार सिन्हा<br>सुरेशपुरम, महिसौड़ी<br>पो0+जिला- जमुई | | महासचिव | समाज सेवा |
| 3. | श्री कृष्ण मोहन प्रसाद<br>पिता- श्री मणि मोहन प्रसाद<br>ग्राम- इन्दपे, पो0- अमारी<br>जिला- जमुई | | कोषाध्यक्ष | समाज सेवा |
| 4. | श्रीमती चंचला सिन्हा<br>पति- श्री श्याम सुन्दर प्रसाद<br>ग्राम- छनौन, पो0- कोशी<br>जिला- नवादा | | सदस्य | गृहिणी |
| 5. | श्री नीरज कुमार<br>पिता- स्व0 के0 पी0 वर्मा<br>ग्राम+पो0- बगदा, कसमार<br>बोकारो, जिला- बोकारो | | सदस्य | स्वतंत्र शिक्षक |
| 6. | श्री संजय कुमार सिन्हा<br>पिता- स्व0 रामलखन प्र0 सिन्हा<br>ग्राम- दालपट्टी<br>पो0+जिला- लखीसराय | 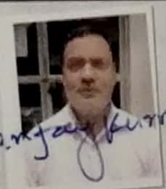 | सदस्य | समाज सेवा |
| 7. | श्री विनोद कुमार सिन्हा<br>पिता- श्री महेश प्र0 सिन्हा<br>ग्राम- महुली, पो0- तैयार<br>जिला- नवादा | | सदस्य | समाज सेवा |

Scanned by CamScanner

6. हम सभी हस्ताक्षरकर्त्ता उपरोक्त स्मृति-पत्र के आधार पर अपनी संस्था सुरेश सिन्हा मेमोरियल सोसायटी का निबंधन सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट XXI-1860 के अन्तर्गत कराने के इच्छुक हैं।

| क्र.सं. | नाम/पिता का नाम/पता | फोटो | पद | हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री राकेश रंजन<br>पिता- श्री सुशील प्रसाद सिन्हा<br>सिरचन्द नवादा, वार्ड नं0-5<br>सिरचन्द नवादा, जिला- जमुई | | अध्यक्ष | Rakesh Ranjan |
| 2. | श्रीमती कुसुम सिन्हा<br>पति- श्री मनोज कुमार सिन्हा<br>सुरेशपुरम, महिसौड़ी<br>पो0+जिला- जमुई | | महासचिव | कुसुम सिन्हा |
| 3. | श्री कृष्ण मोहन प्रसाद<br>पिता- श्री मणि मोहन प्रसाद<br>ग्राम- इन्दपे, पो0- अमारी<br>जिला- जमुई | | कोषाध्यक्ष | कृष्ण मोहन प्रसाद |
| 4. | श्रीमती चंचला सिन्हा<br>पति- श्री श्याम सुन्दर प्रसाद<br>ग्राम- छनौन, पो0- कोशी<br>जिला- नवादा | | सदस्य | चंचला सिन्हा |
| 5. | श्री नीरज कुमार<br>पिता- स्व0 के0 पी0 वर्मा<br>ग्राम+पो0- बगदा, कसमार<br>बोकारो, जिला- बोकारो | | सदस्य | नीरज कुमार |
| 6. | श्री संजय कुमार सिन्हा<br>पिता- स्व0 रामलखन प्र0 सिन्हा<br>ग्राम- दालपट्टी<br>पो0+जिला- लखीसराय | | सदस्य | Sanjay Kumar Sinha |
| 7. | श्री विनोद कुमार सिन्हा<br>पिता- श्री महेश प्र0 सिन्हा<br>ग्राम- महुली, पो0- तैयार<br>जिला- नवादा | | सदस्य | विनोद कुमार सिन्हा |

I know them every person
& All photo & signature Attested by

KAUSHAL KISHOR PANDEY
NOTARY
Govt. of Bihar
5169
Barh (Patna)

(13)

# सुरेश सिन्हा मेमोरियल सोसायटी

## की

# नियमावली

**1. परिभाषा:**

(क) संस्था से अभिप्राय यह कि इस संस्था का नाम सुरेश सिन्हा मेमोरियल सोसायटी होगा।

(ख) समिति का अर्थ यह कि संस्था की कार्यकारिणी समिति।

(ग) पदाधिकारी का अर्थ यह कि अध्यक्ष, महासचिव एवं कोषाध्यक्ष।

(घ) वर्ष का अभिप्राय यह कि **1** अप्रैल से **31** मार्च तक।

(ड़) ऐक्ट से अभिप्राय यह कि सोसायटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट **XXI-1860**।

**2. सदस्यता:**

इस संस्था के सदस्य वैसी हर महिला और पुरूष बन सकते हैं-

(क) जो भारत वर्ष के नागरिक हों,

(ख) जो सचरित्र एवं सेवाभावी हों, तथा

(ग) जिनकी उम्र **18** वर्ष से क्रम न हों ।

**3. सदस्यता के लिए आवेदन:**

सदस्यता ग्रहण करने के इच्छुक व्यक्ति महासचिव के पास विहित प्रपत्र में आवेदन देंगे। सदस्यता की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति की सूचना आवेदकों को **15** दिनों के भीतर उचित माध्यम से दे दी जाएगी।

**4. वह व्यक्ति संस्था का सदस्य नहीं रह पाएगा:**

(क) जो पागल हो गया हो,

(ख) जिसने स्वयं ही त्याग पत्र दे दिया हो,

(ग) जिसने बिना किसी अग्रसूचना के तीन महीनों तक सदस्यता शुल्क जमा नहीं किया हो,

(घ) बिना किसी अग्रसूचना के जिसने समिति के तीन बैठकों में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई हो,

(ड़) जिसका चरित्र संस्था के कोष और मर्यादा को दुर्बल तथा अपमानित करता हो,

(च) जिसे राजैनतिक अपराध के अतिरिक्त किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दंडित किया गया हो ( किन्तु यह अयोग्यता सजा समाप्ति के पाँच वर्ष के बाद लागू नहीं होगी ) और

(छ) दिवंगत हो गया हो।

कुसुम सिन्हा

Scanned by CamScanner

(ग) संस्था के कार्यों को सरलता से सम्पादन के निमित्त विभिन्न प्रस्तावों को पारित करने तथा आवश्यकतानुसार शाखाओं उपशाखाओं तथा उपसमितियों के गठन करने में सहायता करना।

## 11. पदाधिकारियों के अधिकार एवं कार्य:

अध्यक्ष :

(क) संस्था के समस्त बैठकों की अध्यक्षता करना,

(ख) कार्यवाहक पंजी सहित समस्त पंजियों में हस्ताक्षर करना,

(ग) किसी भी आकस्मिक अथवा प्राकृतिक आपदाओं के समय स्वविकेक से कल्याणकारी कार्यक्रम निर्धारित करना, और

(घ ) सभा में किसी भी विषय पर निर्णय लिए जाने के समय समान मत प्राप्त होने जैसी विशेष परिस्थिती में अपना एक अतिरिक्त निर्णायक मत देना।

महासचिव :

(क) मुख्य कृत्याधिकारी होने के नाते संस्था के समस्त प्रबन्ध, निरीक्षण एवं पत्राचार, कर्मचारियों तथा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति आदि का अधिकार महासचिव में नीहित होगा,

(ख) आम सभा आहूत करना,

(ग) सभा की समस्त कार्यवाहियों को कार्यवाहक पुस्तिका में अंकित करना,

(घ) संस्था के आय-व्यय का अंकेक्षण कराना, और

(ड़) अति आवश्यक समझे जाने पर समिति के बिना पुर्वानुमति के **10000/-** रूपये (दस हजार रूपए मात्र) खर्च करना लेकिन एक सप्ताह के भीतर उक्त खर्च के लिए स्वीकृति प्राप्त कर लेना अनिवार्य होगा।

कोषाध्यक्ष :

(क) विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त संस्था के कोष का संरक्षण करना,

(ख) समस्त आय-व्यय का लेखा रखना तथा वर्षान्त में कार्यकारिणी के सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत करना,

(ग) अपने पास अधिकाधिक **15000/-** रूपये (पँद्रह हजार रूपये मात्र) तक ही रखना तथा इससे अधिक राशि जमा हो जाने पर उसे सम्बन्धित बैंक में जमा कर देना अनिवार्य होगा।

## 12. कोष का संचालन :

संस्था का खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा डाकघर में अध्यक्ष, महासचिव तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से खोला जाएगा, किसी भी परिस्थिति में रकम की निकासी में महासचिव का हस्ताक्षर अनिवार्य रहते हुए किसी दो के संयुक्त हस्ताक्षर से ही सम्भव हो पाएँगे। (महासचिव के हस्ताक्षर की अनिवार्यता होगी।)

कुसुम सिन्हा

Scanned by CamScanner

(10)

## 13. आम सभा के अधिकार:

संस्था का समस्त अधिकार सदस्यों की आमसभा में नीहित होगा- यह सभा तीन प्रकार की होगी।

(क) साधारण (ख) असाधारण और (ग) विशेष

(क) साधारण आमसभा :

यह सभा वर्ष के पूर्ण होने के पश्चात् अधिकाधिक तीन महीने के अन्दर ही बैठेगी, जिसमें विगत वर्ष में संस्था के द्वारा सम्पन्न हुए कार्यों के समस्त बिन्दुओं पर विचार-विमर्श किये जायेंगे।

(ख) असाधारण आमसभा :

यह आमसभा प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों द्वारा सूचना देकर एक महीना के भीतर बुलाई जा सकेगी।

(ग) आकस्मिक आमसभा:

यह आमसभा किसी आकस्मिक अथवा अत्यन्त आवश्यक विषय पर विचार विमर्श हेतु प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा 14 घंटे पूर्व अग्रसूचना देकर किसी भी दिन बुलाई जा सकेगी।

## 14 . बैठक की सूचना:

सदस्यों को किसी भी प्रकार के बैठक की सूचना डाक द्वारा अथवा सूचना बही के माध्यम से दी जाएगी साथ ही उस आशय की एक प्रति संस्था कार्यालय के सूचना पट पर भी चिपका दी जाएगी। विशेष परिस्थिति में यह सूचना किसी मैसेन्जर, टेलिफोन अथवा फैक्स के द्वारा भी भेजी जा सकेगी।

## 15. प्रार्थित बैठक :

किसी आवश्यक विषय पर विचार-विमर्श हेतु एक तिहाई सदस्यों के द्वारा लिखित माँग पर महासचिव को एक महीना के अन्दर बैठक बुलाना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं होने पर निश्चित अवधि के पश्चात आवेदक सदस्य अपने स्तर पर बैठक का आयोजन कर सकेंगे।

## 16. कोरम :

प्रत्येक बैठक का कोरम कुल सदस्यों की संख्या का दो तिहाई सदस्य संख्या का होगा। कोरम के अभाव में बैठक स्थगित कर दी जाएगी।

## 17. निधिका अंकेक्षण :

संस्था के आय-व्यय का लेखा नियमित रूप से रखा जाएगा तथा सदस्यों की आम सभा के द्वारा नियुक्त अंकेक्षक से प्रतिवर्ष करा लिया जाएगा।

निखिल प्रिया

कुसुम सिन्हा

Scanned by CamScanner

**5. सदस्यता शुल्क:**

सदस्यों को प्रवेश शुल्क के रूप में एक बार **151/-** (एक सौ एक्यावन रूपये) तथा प्रत्येक महीना मासिक शुल्क के रूप में **51/-**( एक्यावन रूपये मात्र ) देना अनिवार्य होगा।

**6.** नियमावली की अनुच्छेद **4** में वर्णित शर्तों के अनुसार किसी भी व्यक्ति को संस्था की सदस्यता से हट जाने अथवा हटा दिए जाने की स्थिति में उनके द्वारा किसी भी रूप में दिए गए दान, अनुदान या चंदाराशि उन्हें वापस नहीं लौटाया जाएगा।

**7. आय का स्रोत:**

संस्था के उद्देश्यों की पूर्त्ति के लिए कोष निम्नलिखित उपायों द्वारा एकत्र किए जाएँगें।

(क) सदस्यों द्वारा प्रवेश शुल्क तथा मासिक सदस्यता शुल्क लेकर,

(ख) सदस्य उद्यमियों, शिल्पकारों एवं कलाकारों द्वारा निर्मित तथा उत्पादित वस्तुओं को उचित बाजार दिलाने के बदले लाभांश प्राप्त कर,

(ग) सांस्कृतिक, आध्यात्मिक तथा विभिन्न लोकोपयोगी कार्यक्रमों की प्रस्तुतियों के लिए जन समान्य से सहयोग प्राप्त कर,

(घ) सरकार, व्यक्ति विशेष, अन्य श्रद्धालुओं एवं समाजसेवी संगठनों द्वारा सहायता, दान तथा अनुदान प्राप्त कर, एवं

(ड़) आवश्यकतानुसार अन्य आकस्मिक तथा वैध स्त्रोतों के द्वारा।

**8. कोष के उपयोग :**

संस्था के कोष का उपयोग स्मृति-पत्र के अनुच्छेद **4** में वर्णित उद्देश्यों एवं कार्यो की पूर्ति में किया जाएगा।

**9. कार्यकारिणी समिति का गठन :**

(क) संस्था की कार्यकारिणी समिति **7** व्यक्तियों की है।

(ख) कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल पाँच वर्षों का होगा।

(ग) समिति के अधिकारियों तथा सदस्यों का चुनाव आमसभा द्वारा की जाएगी। निवृत सदस्य को फिर से चुना जा सकेगा।

(घ) कार्य अवधि के मध्य में कार्यकारिणी समिति का कोई पद रिक्त होने पर शेष अवधि के लिए उक्त पद पर किसी अन्य सदस्य को मनोनित कर ली जाएगी, किन्तु वार्षिक सभा में विधिवत् चुनाव कर लिया जाएगा।

**10. कार्यकारिणी समिति के कार्य एवं अधिकार :**

(क) संस्था के समस्त चल अथवा अचल सम्पत्तियों का उत्तरदायित्व निभाना,

(ख) संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति तथा समस्त कार्य व्यापारों का विधिवत् संचालन में सक्रिय सहयोग करना,

कुसुम सिन्हा

Scanned by CamScanner

आवश्यकता अनुसार 'निबंधन महानिरीक्षक' स्वविवेक से संस्था के आय-व्यय का अंकेक्षण करा सकते हैं, इस कार्य हेतु अंकेक्षण का शुल्क का भुगतान संस्था द्वारा किया जाएगा।

**18.** पंजी का निरीक्षण :

संस्था की समस्त पंजीयाँ संस्था के निबंधित कार्यालय में महासचिव की देख रेख में रहेंगी जहाँ आवश्यकतानुसार अध्यक्ष की सहमति से कोई भी सदस्य उन पंजियों का निरीक्षण कर सकेगा।

**19.** कानूनी कार्रवाई :

संस्था पर या संस्था द्वारा कानूनी कार्रवाई संस्था के महासचिव के नाम से होगी, तथा अधिवक्ता की नियुक्ति समिति की सलाह से की जाएगी ।

**20.** नियमावली में संशोधन :

संस्थाकी नियमावली में किसी भी प्रकार का परिवर्तन या संशोधन आम सभा के **3/5** सदस्यों द्वारा पारित होने के पश्चात ही किया जाएगा।

**21.** संस्था का विघटन:

क. संस्था का विघटन सोसायटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट **XXI-1860** की धारा **13** के आलोक में किया जाएगा।

ख. किसी विशेष परिस्थिति में संस्था का विघटन असाधारण आमसभा में उपस्थित सदस्यों की **3/5** सदस्य संस्था की सहमति से प्रस्ताव पारित कर किया जाएगा।

ग. विघटन के समय समस्त ऋण अथवा बकायों के भुगतान के पश्चात शेष बचे (चल अथवा अचल) सम्पत्ति को समान उद्देश्यवाली किसी अन्य संस्था या सरकार को लिखित रूप से सौंप दी जायेगी।

*प्रमाणित किया जाता है कि यह संस्था के नियमावली की सत्य प्रतिलिपि है।*

| हस्ताक्षर | हस्ताक्षर | हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| Rakesh Ranjan | कुसुम सिन्हा | कृष्ण मोहन प्रसाद |
| अध्यक्ष | महासचिव | कोषाध्यक्ष |

सत्यापित प्रति

कुसुम सिन्हा

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

8/07/2011

E 300071

बिहार BIHAR 381 सुरेश सिन्हा मेमोरियल सोसाइटी सुरेशपुरम महिसौढ़ी जमुई

50x1=50

[illegible] 8/07/2011

निबंधन ... 2/1995

Scanned by CamScanner

आयकर विभाग

INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार

GOVT. OF INDIA

SURESH SINHA MEMORIAL SOCIETY

28/05/2012

Permanent Account Number

AAKAS5762L

26022014

Scanned by CamScanner